

RAJASTHAN HIGH COURT

PA/RG/Misc./2021

Date – 15.04.2021

NOTIFICATION

In view of the Guidelines dated 14.04.2021 issued by the State Government for containment of spread of second wave of Covid-19, while continuing with the directions issued by this office earlier Notification No. PA/RG/Misc./2021/917 dated 10.04.2021, following further directions are issued for the functioning of Rajasthan High Court, Jodhpur and Jaipur Bench from 16.04.2021 onwards till 30.04.2021:-

1. On 16.04.2021 and 17.04.2021, all Hon'ble Courts would rise at 03.30 pm and the offices would function only till 04.00 pm.
2. From 19.04.2021, morning court timings will be observed as per this Office Notification No. 02/E.V./2021 dated 01.03.2021.
3. As per above Guidelines dated 14.04.2021 of the State Government (copy enclosed), only such staff members would be called in office on rotational basis who are required to manage court or office work. Remaining staff would remain available on headquarter and would work from home.
4. Following Helpline Numbers for issues related to Video Conferencing will be available during office hours on all the working days:-

For Jodhpur - 14634, 0291-2888056

For Jaipur Bench - 14635, 0141-2227441

By Order


REGISTRAR GENERAL

No. PA/RG/Misc./2021/919

Date – 15.04.2021

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Registrar-Cum-Principal Private Secretary to Hon'ble the Chief Justice, Rajasthan High Court.
2. P.S. to All Hon'ble Judges, Rajasthan High Court.
3. The Registrar General, Rajasthan High Court.
4. Advocate General, Rajasthan.
5. Additional Solicitor General, Rajasthan.

6. The Chairman, Bar Council of Rajasthan.
7. President, Rajasthan High Court Advocates' Association, Jodhpur.
8. President, Rajasthan High Court Lawyers' Association, Jodhpur.
9. President, Rajasthan High Court Bar Association, Jaipur.
10. President, the Bar Association, Jaipur
11. The Registrar (Vig.) / (Admn.) / (Rules) / (Class.) / (Exam.) / OSD (F&I) / (CPC)/(Judicial) Rajasthan High Court, Jodhpur/Jaipur Bench and Registrar Hq. At New Delhi.
12. Member Secretary, Rajasthan State Legal Services Authority.
13. The Director, Rajasthan State Judicial Academy, Jodhpur.
14. All Joint/Deputy Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench, Jaipur.
15. A.O.J., Classification Section (Website), Rajasthan High Court, Jodhpur/Bench, Jaipur.


REGISTRAR GENERAL

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक प. 33(2)गृह-9/2019

जयपुर, दिनांक: 14.04.2021

आदेश

विषय : कोविड 19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने हेतु गाईडलाईन्स।

कोविड-19 के मामलों में ताजा बढ़ोतरी चिन्ता का कारण है। विशेषज्ञों की राय में कोविड की दूसरी लहर पहली लहर से अधिक खतरनाक है, चूंकि **दूसरी कोविड लहर** में कुल संक्रमित एवं मृतकों में से लगभग 30 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 60 प्रतिशत संक्रमण 45 वर्ष से कम आयु वर्ग में पाया जा रहा है एवं आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट आने के पश्चात् भी व्यक्ति में कोविड पाया जा रहा है।


सितम्बर-अक्टूबर 2020 में जब पहली लहर का संक्रमण सर्वाधिक (पीक पर) था तब जितने संक्रमित मामले और मृत्यु प्रतिदिन हुई थी उससे अधिक प्रतिदिन पॉजिटिव मामले और मृत्यु अप्रैल के पहले 10 दिनों में हो चुके हैं।

इस मोड़ पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु हासिल किये गये संतोषजनक लाभों को समेकित (Consolidate) किये जाने की आवश्यकता है तथा शीघ्रता से पूरी तरह सामान्य स्थिति बहाल करने को दृष्टिगत रखते हुए महामारी के प्रसार की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ने की आवश्यकता है।

राज्य में कोविड-19 संक्रमण फैलाव के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए **दिनांक 16.04.2021 से दिनांक 30.04.2021 तक** की अवधि के लिये राजस्थान राज्य में निम्नलिखित गाईडलाईन्स एतद्वारा जारी की जाती है।

स्थानीय प्रतिबन्ध

1. **राज्य के समस्त क्षेत्रों में सांय 6:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू रहेगा।** सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स रात्रि कालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे। बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि **सांय 5:00 बजे** बंद कर दिये जायें ताकि सम्बन्धित स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति **सांय 6:00 बजे तक** अपने घर पहुंच जाये।



समस्त राजकीय कार्यालय (कोविड मैनेजमेन्ट से संबंधित सभी कार्यालय, वॉर रूम, कन्ट्रोल रूम को छोड़कर) सांय 4:00 बजे तक खुले रहेंगे। समस्त निजी कार्यालय एवं प्रतिष्ठानों को परामर्श दिया जाता है कि कोविड संक्रमण की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए वह भी अपने कार्यालय समय को इस अनुरूप परिवर्तित करें।

रात्रिकालीन कर्फ्यू निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा:-

- i. वे फैक्ट्रियां, जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा हो।
- ii. वे फैक्ट्रियां, जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो।
- iii. आई.टी. कम्पनियां।
- iv. कैमिस्ट शॉप।
- v. अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय।
- vi. विवाह सम्बन्धी समारोह।
- vii. चिकित्सा सेवाओं से सम्बन्धित कार्यस्थल।
- viii. बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले यात्रीगण।
- ix. माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति।
- x. सरकार द्वारा अनुमत।

(इस हेतु पृथक से पास की आवश्यकता नहीं होगी। पहचान-पत्र/निमंत्रण पत्र/यात्रा टिकट पर्याप्त होंगे।)

उपरोक्त वर्णित सभी संस्थाओं/संगठनों द्वारा कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालना की जायेगी। जिला प्रशासन/**Joint Enforcement Teams/Anti-Covid Teams** द्वारा इस सम्बन्ध में सख्त निगरानी एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा और यदि कोई संस्था/संगठन उल्लंघन करता पाया जाता है, तो संस्था/संगठन के परिसर को सील किया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राज. द्वारा जारी आदेश दिनांक 03.04.2020 को गठित **ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप** द्वारा कोविड दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराई जाएगी।

8/4/20

शिक्षण संस्थान

2. राज्य सरकार द्वारा सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:—

- समस्त शैक्षणिक/कोचिंग संस्थाएँ, लाइब्रेरीज आदि बंद रहेंगे।
- कक्षा 8वीं, 9वीं एवं 11वीं को सीधे ही 9वीं, 10वीं एवं 12वीं कक्षा में प्रमोट करने की कार्यवाही की जाएगी। इस हेतु शिक्षा विभाग द्वारा उचित आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।
- सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) के नोटिफिकेशन दिनांक 14.04.2021 द्वारा कक्षा 10वीं की परीक्षाएं निरस्त एवं कक्षा 12वीं की परीक्षा को स्थगित किया गया है। इसी अनुरूप राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (RBSE) द्वारा वर्तमान में चल रही कक्षा 10वीं एवं 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएँ एवं आगे होने वाली लिखित परीक्षाओं को स्थगित किया जायेगा। इस हेतु शिक्षा विभाग द्वारा उचित आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।
- मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालयों में भी अध्ययन यथावत् रहेगा।
- ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा।

राज्य सरकार के गृह विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये पूर्व दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावेगी।

समारोह आयोजन (Gatherings)

3. समस्त निजी आयोजन यथा विवाह इत्यादि में आमंत्रित अतिथियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। निम्नांकित दिशा-निर्देश दिनांक 16.04.2021 से 31.05.2021 तक प्रभावी रहेंगे।

आयोजन कर्ता द्वारा:—

- विवाह समारोह में बैण्ड-बाजा वादकों को 50 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जायेगा।
- विवाह के सम्बन्ध में उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी आवश्यक होगी। (प्राथमिकता से ई-मेल द्वारा)
- कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
- फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा "नो मास्क नो एन्ट्री" की सख्ती से पालना की जायेगी।
- स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जायेगी : प्रवेश एवं निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्कैनिंग, हैण्ड वाश एवं सेनेटाईज़र के प्रावधान किये जायेंगे।
- सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दु जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डलस आदि को बार-बार सेनेटाईज़ किया जायेगा।

- g. विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियो ग्राफी करवाई जायेगी एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा मांगने पर उपलब्ध करवाई जायेगी।
- h. यदि कोई मैरिज गार्डन/स्थान कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसको एक सप्ताह के लिए सील कर दिया जाएगा।
4. **अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम :** अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ। अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
5. **समस्त प्रकार के सार्वजनिक सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/जुलूस/त्योहारों/मेलों की अनुमति नहीं होगी।**
6. पूजा-अर्चना, इबादत आदि घर पर रहकर ही की जावे। धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा ही नियमित पूजा-अर्चना, इबादत आदि जारी रहेगी। जिन स्थलों पर ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था है, वह जारी रहेगी।
7. **सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क एवं समान स्थान बंद रखे जावेंगे।**
8. **स्विमिंग पूल्स/जिम को खोलने की अनुमति नहीं होगी।**
9. **रेस्टोरेन्ट्स/क्लब्स के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-**
- a. समस्त रेस्टोरेन्ट्स/क्लब्स को 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। इस हेतु बैठक व्यवस्था को **ऑलटरनेट (एक छोड़कर एक)** रूप से बैठाया जायेगा।
- b. रेस्टोरेन्ट/क्लब्स में रात्रि कालीन कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित की जावेगी, परन्तु रेस्टोरेन्ट से होम डिलीवरी (**Home Delivery**) रात्रि 8:00 बजे तक अनुमत होगी।
- c. होटल एवं रेस्टोरेन्ट द्वारा अपने इन हाऊस गेस्ट को सर्विस देना अनुमत होगा।
10. **कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार (Covid Appropriate Behaviour)**
- a. जिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार यथा फेस मास्क पहनने, हाथों को बार-बार धोना और सामाजिक दूरी बनाये रखने को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे।
- b. **फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है।** इस मुख्य आवश्यकता को लागू करने के लिए, **सार्वजनिक और कार्य स्थलों** पर चेहरे पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर उचित जुर्माना लगाने जैसी कार्यवाही की जावे।

- c. भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में **सामाजिक दूरी** बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। विमान, ट्रेन और मेट्रो रेल में यात्रा को विनियमित करने के लिए एसओपी पहले से ही लागू है, उसे भी सख्ती से लागू किया जावे। इनकी कड़ाई से अनुपालना करवाई जावे।

11. कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु सामान्य सुरक्षा निर्देश :

सभी जिलों एवं सभी क्षेत्रों के लिए निम्नांकित सामान्य सुरक्षा निर्देश लागू रहेंगे:

a. कार्य स्थलों में (At work places) :

- i. आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, फायर, एंबुलेंस एवं अन्य कोविड कार्य संबंधी एजेंसी के अलावा समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालय जिनमें कार्मिकों की संख्या 100 से अधिक है, में कार्यालय उपस्थिति 50 प्रतिशत ही अनुमत होगी एवं शेष कार्मिक वर्क फ्रॉम होम (घर से कार्य) करेंगे। वर्क फ्रॉम होम कार्मिकों की सेवा Anti COVID Team (ACT) के रूप में भी ली जा सकती है।
- ii. घर से कार्य (WfH) : जहाँ तक सम्भव हो ज्यादा से ज्यादा कार्मिकों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।
- iii. कार्य स्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा।
- iv. कार्यालयों में बाहर से आने वाले आगंतुक कम-से-कम होने चाहिए और कार्यालय के कर्मचारियों, जो एक ही परिसर में मौजूद हैं, के अलावा सभी के साथ बैठक ऑनलाइन आयोजित की जानी चाहिए।
- v. राज्य में वर्तमान में रबी की फसलों की आवक मण्डियों में हो रही है तथा समर्थन मूल्य पर फसलों का क्रय किया जा रहा है। अतः ऐसे केन्द्रों पर भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित की जावे।
- vi. जांच एवं स्वच्छता (Screening and Hygiene) : सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवॉश और सैनिटाईजर का प्रबन्ध किया जावे।
- vii. बार-बार सैनिटाईजेशन करना : सम्पूर्ण कार्य स्थलों, आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैंडल आदि का शिफ्टों के मध्य बार-बार सैनिटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

- viii. **सामाजिक दूरी** : कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा।

b. दुकानें (Shops):—

- i. दुकानों में ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जायेगी। **"नो मास्क नो सर्विस"** जैसे कि जिस किसी ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा।
- ii. दुकानों पर गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
- iii. यदि कोई दुकानदार **"नो मास्क नो सर्विस"** प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकान को 72 घंटे के लिए सील कर दिया जाएगा।
- iv. दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे।
- v. राशन की दुकानों पर लगी पोस मशीन को सेनेटाईज करवाया जाए तथा दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जाएगी।

c. सार्वजनिक स्थानों में (In Public Places) :

- i. **मुंह को ढकना (Face Covering):** सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। **"नो मास्क नो मूवमेंट"** की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराई जायेगी।
- ii. **सामाजिक दूरी** : सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति के 6 फीट यानी ("2 गज की दूरी") बनाये रखेगा।
- iii. **सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषिद्ध है** और जुर्माने से दण्डनीय है।
- iv. सार्वजनिक स्थानों पर **शराब, पान, गुटका, तम्बाकू** आदि का सेवन निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है।

- v. सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में है, को छूने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें/सेनिटाईजर का उपयोग करें।

12. व्यक्तियों के आवागमन/परिवहन (Movement of People/ Transport)

सार्वजनिक परिवहन निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ चालू रहेगा :-

ऑटो रिक्शा	चालक +2 सवारी केवल
टैक्सी (चौपहिया)	चालक +RTO के अनुसार वाहन की क्षमता का 50 प्रतिशत
बस	बैठक क्षमता का 50 प्रतिशत ही अनुमत होगा, इस हेतु बैठक व्यवस्था को Alternate (एक छोड़कर एक) रूप से रखा जाए। साथ ही सार्वजनिक परिवहन में कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यात्रा न करें।

- प्रत्येक यात्रा के बाद सभी वाहनों को सैनेटाइज किया जाएगा।
- निजी वाहन – सवारियों की संख्या पंजीकृत वाहन की स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी।
- वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसे आवागमन के लिये पृथक से अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
- सभी कॉमर्शियल यात्री परिवहन वाहन – यात्रा से पहले एवं यात्रा के पश्चात् सीटों एवं छूने के बिंदुओं के उपयुक्त सैनिटाईजेशन एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों की शर्तों की अनुपालना के अधीन बस, टैक्सी, कैब, संचालक (ओला/उबर आदि) ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा आदि का संचालन भी अनुमत होगा।
- यात्री ट्रेन, घरेलू हवाई यात्रा आदि द्वारा आवागमन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) द्वारा नियमित किया जाना निरन्तर जारी रहेगा।
- राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई **RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जायेगा।

Amrinder

इस सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :-

- i. राज्य में बाहर से आने वाले समस्त यात्रियों हेतु थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी एवं संबंधित प्राधिकारी द्वारा आगन्तुक यात्रियों की रेण्डम (random) RT-PCR जाँच की जायेगी।
- ii. सभी जिला कलेक्टर राज्य के बाहर से सड़क मार्ग से आने वाले लोगों की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की जांच हेतु पूर्व की भांति प्रवेश द्वार पर चेक-पोस्ट स्थापित कर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की पूर्ण पालना सुनिश्चित करायेंगे। **बॉर्डर चेक पोस्ट** पर पल्स ऑक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करवाया जावे।
- iii. **महाप्रबंधक, उत्तर-पश्चिम रेलवे**, जयपुर, राजस्थान द्वारा राज्य के बाहर से रेलवे के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करायी जायेगी।
- iv. **एयरपोर्ट डायरेक्टर**, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर द्वारा राज्य के बाहर से हवाई माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करायी जायेगी।

13. उपरोक्त आदेशों के साथ निम्नानुसार **परामर्श** जारी किये जाते हैं :-

- a. कुछ जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा अपने जिले में व्यापारिक संगठनों से सहमति कर बाजारों में साप्ताहिक अवकाश की कार्यवाही कराई गई है।
अतः सभी जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक अपने जिलों में लोगों/व्यापारिक संगठनों से बातचीत कर इस तरह की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
- b. राजस्थान के समस्त निवासियों को परामर्श दिया जाता है कि अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें, जब तक कि कोई अति आवश्यक कार्य न हो एवं कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, हाथों को बार-बार सेनेटाईज करना इत्यादि की पालना भी सुनिश्चित करें।
- c. भेद्य व्यक्तियों (**Vulnerable Persons**) जैसे (60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सःरुग्णता परिस्थितियों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएँ तथा 10 वर्ष से कम आयु के बालक) को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही और यदि अपरिहार्य परिस्थितियां ऐसी मांग करें तो ही बाहर जाने की सख्त हिदायत दी जाती

अमरगुप्त

है। घर से बाहर जाने पर यह अति-आवश्यक है कि वे समय-समय पर निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की सर्वाधिक पालना करें।

- d. समस्त धार्मिक, सामाजिक, गैर सरकारी संस्थाओं, उद्योग जगत, व्यापार मण्डल और कर्मचारी संगठनों से भी विनम्र आग्रह है कि इस कोविड संक्रमण को देखते हुए सकारात्मक दृष्टि से सहयोग करें और अपने स्तर पर Covid Appropriate Behaviour हेतु अपील करें।

14. गाईडलाइन्स की सख्त अनुपालना :


उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हों के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन अपराध है और भारी जुर्माने एवं आयोजन स्थल को सील करने की कार्यवाही के साथ दंडनीय है।

15. क्रियान्वयन मशीनरी:

विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मार्च, 2020 के अनुरूप होगी।

16. नगर निकाय विभाग द्वारा जिले में स्थापित सभी कन्टेनमेंट जोन्स में निरंतर सेनेटाइजेशन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
17. पूर्व में जारी गाईडलाइन्स दिनांक 31.03.2021, दिनांक 04.04.2021 एवं दिनांक 09.04.2021 द्वारा जारी अन्य दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।
18. यह आदेश दिनांक 16.04.2021 प्रातः 6:00 बजे से प्रभावी होंगे।


(अमय कुमार)

प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त कलेक्टर।

12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
14. महाप्रबंधक, उत्तर-पश्चिम रेलवे, जयपुर, राजस्थान।
15. एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर।
16. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर
17. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
18. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ।


(सुरेश चन्द गुप्ता)
शासन सचिव, गृह

राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 धारा 4 के अंतर्गत घोषित अपराध एवं धारा 11 के अंतर्गत शास्ति एवं शमन करने की शक्तियां निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	अपराध	शास्ति	शमन करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी
1.	कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर(जिससे नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हो) नहीं पहने हुए हो।	500 / -	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. सहायक उप निरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी 3. राजस्व निरीक्षक से अनिम्न रैंक के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के अधिकारी 4. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी
2.	कोई दुकानदार द्वारा, ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ हो, किसी वस्तु का विक्रय करना।	500 / -	
3.	कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी (अन्य व्यक्ति से न्यूनतम 6 फीट) बनाकर नहीं रखता है।	100 / -	
4.	किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर।	200 / -	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. सहायक उप निरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी 3. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी
5.	कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू का उपभोग करते हुए पाये जाने पर।	500 / -	
6.	उपखण्ड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिये बिना विवाह से सम्बन्धित किसी समारोह या जमाव का आयोजन करना या उस समारोह में सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखना।	5,000 / -	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी
7.	विवाह से सम्बन्धित समारोह आयोजन, जिसमें 50 से अधिक व्यक्ति हो।	25,000 / -	
8.	कोई व्यक्ति लोक परिवहन सेवा यथा ऑटो, कैब, रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में फेस मास्क या फेस कवर (जिसमें नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हो) नहीं पहने हुए हो।	500 / -	1. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी
9.	सभी कार्यस्थल पर कार्यअवधि के दौरान नियमित रूप से	10,000 / -	1. जिला उद्योग केन्द्र के सभी महाप्रबंधक

	सेनेटाईजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना नहीं कराई जाने पर।		2. रीको ईकाई के प्रमुख
10.	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को लिखित पूर्व सूचना के बिना (विवाह अथवा अन्त्येष्टि/अंतिम संस्कार के अलावा) सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक अथवा अन्य किसी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम इत्यादि आयोजित करना।	10,000/-	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी